

समाधान प्रकोष्ठ

चर्चा में क्यों?

हरियाणा सरकार ने [लोक शिकायतों के नपिटान के लिये](#) मुख्य सचिव कार्यालय में "समाधान प्रकोष्ठ" की स्थापना की है।

- इस पहल में प्रत्येक कार्य दविस पर ज़िला एवं उपमंडल स्तर के मुख्यालयों पर 'समाधान शिविर' स्तर आयोजित किये जाएंगे, जिसका लक्ष्य जन समस्याओं का प्रभावी समाधान करना होगा।

मुख्य बडि:

- लोक शिकायतों को नीतगित मुद्दों और कार्यान्वयन संबंधी बाधाओं, दो वर्गों में वभाजित कया गया है।
 - नीत-संबंधी मुद्दों का नपिटान राज्य मुख्यालय स्तर पर प्रशासनिक सचिवों के समन्वय से 'प्रकोष्ठ' द्वारा कया जाएगा।
 - कार्यान्वयन संबंधी बाधाओं को ज़िला स्तर पर 'समाधान शिविर' के माध्यम से हल कया जाएगा।
- उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, अतरिकित उपायुक्त, ज़िला नगर आयुक्त, उपमंडल अधकियारी और अन्य संबधति अधकियारियों सहति प्रमुख ज़िला अधकियारी लोक शिकायतों के समाधान के लिये उपायुक्त तथा SDO (नागरकि) कार्यालयों में प्रतदिनि मलेंगे।
- लोक शिकायतों से संबधति हरियाणा की योजना:
 - **CM वडि-लोक शिकायत नवियरण और नगियरानी प्रणाली।**
 - CM वडि, एक शिकायत नवियरण और नगियरानी प्रणाली हरियाणा के सभी ज़िलों तथा सभी वभागों में एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप 25 दसिंबर 2014 से लागू है
 - ये शिकायतें CM वडि काउंटर ऑनलाइन पर पंजीकृत हैं और नागरकि शिकायत पंजीकरण संख्या के साथ अपने मोबाइल फोन पर SMS प्राप्त करते हैं
 - शिकायतकर्त्ता द्वारा ऑनलाइन शिकायत नवियरण की नगियरानी के लिये इस नंबर का उपयोग कया जाता है। सामान्य नागरकिों से शिकायतें प्राप्त करने के लिये सभी ज़िलों और उप-डविज़न कार्यालयों के ई-दशिया केंद्रों में CM वडि लागू कया गया है।